



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 24 नवम्बर, 2021

अग्रहायण 3, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

24th November, 2021

Dated : _____
3 Agrahayana, 1943 (Saka).

NOTIFICATION

No. 434/UP-LA/2021:- In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the amendments in its Notification no. 434/UP-LA/2021, dated 2nd July, 2021, relating to appointment of Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh namely;

In column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entries as shown against the 284-Matera Assembly Constituencies of column (1) shall be *substituted* with the entry, "Sub Divisional Officer (Judicial), Sadar, Bahraich".

By order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 24 नवम्बर, 2021
3 अग्रहायण, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं० 434/उ०प्र०-वि०स०/2021:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ०प्र०-वि०स०/2021, दिनांक 2 जुलाई, 2021 में संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में 284-मटेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने सारणी के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर, बहराइच" प्रतिस्थापित की जायेगी।

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।